



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29112021-231457
CG-DL-E-29112021-231457

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4518]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 29, 2021/अग्रहायण 8, 1943

No. 4518]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 29, 2021/AGRAHAYANA 8, 1943

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर 2021

का.आ. 4887(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) तारीख 15 नवम्बर 2021 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का. आ. 4731(अ) तारीख 15 नवम्बर, 2021 के अधीन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) को विधि-विरुद्ध संगम घोषित किया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि, उक्त अधिनियम की धारा 7 और धारा 8 के अधीन विधि विरुद्ध संगठन से संबंधित, उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन द्वारा किया जाएगा।

[फा. सं. 14017/11/2021—एनआई—एमएफओ]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2021

S.O. 4887(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government has declared the Islamic Research Foundation (IRF) to be an unlawful association *vide* notification number S.O. 4731(E), dated the 15th November, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), dated the 15th November, 2021;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 42 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby directs that all powers exercisable by it under section 7 and section 8 of the said Act shall also be exercised by the State Governments and the Union territory Administrations in relation to the above said unlawful association.

[F. No.14017/11/2021-NI-MFO]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.